

25.06.24.

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पाटी तथा  
सूचनाएँ जारी की गईं

पत्रावली पेश हुई। वादी दायित्वगत उपस्थिति नहीं। बाद प्रार्थन पत्र 07 R11 के जवाब दाय्य ले लेने समय से नियत हो। वादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा ना ही संबंध उपस्थिति दूर हो न्यायालय द्वारा कतु-कतु कर तीन बार आवाज लगावाई गई बावजूद इतने कुछ उपस्थिति नहीं लेने से यह प्रतीत होता है कि वादी अपने बाद के पार्ट जंभीर नहीं है तथा बाद चलाग नहीं चाहता है।

अतः वादी का बाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम होजरी, अदम करती में जारी किया जाना हो तथा प्रार्थन पत्र 07 R11 बिना परिपुल प्रभाव के निस्तारित किया जाता है।

निर्णय लेट इजलासे सुनाया गया। प्रकरण फंसल-  
शुमार होकर नम्बर से कम है।



*(Signature)*  
उमरापड अधिकारी  
गिर्वा, उदयपुर  
IAS